

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/F-4 Pt- 3/ACP(27989)2024 / ०९

दिनांक:- ०२/०१/२०२५

--:आदेश:-

राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15 (88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.15(1) वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है:-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी व पद (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी/ ए मएसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवावधि	देय पे बेण्ड/वर्तमान में प्राप्त पे-लेवल	देय ग्रेड-पे/ वेतन लेवल/ वेतन श्रृंखला
1	सुशीला प्रजापति, म०स्वा०कार्य०	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सालावास (जोधपुर ग्रामीण)	28.10.1996	28.10.2023 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
2	विनोद कुमारी, म०स्वा०कार्य०	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोला खण्ड (बाडमेर)	02.11.1996	02.11.2023 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12
3	यासमीन बानो, म०स्वा०कार्य०	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाली	10.09.1997	10.09.2024 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12

उक्त कार्मिका का वेतन नियतन संबधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।
उक्त कार्मिका के यदि 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न हुई है, तो यह आदेश उन पर लागू नहीं
होगे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- ०२/०१/२०२५

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/F-4 Pt- 3/ACP(27989)2024 / ०९

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ ईएसआई योजना, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ग्रामीण/बाडमेर।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सालावास (जोधपुर ग्रामीण)
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कर्म०रा०बी०ओ० पाली।
6. सम्बन्धित कर्मचारियों को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :01-01-2025 04:34:40